



जामालपुर सहायक कलक्टर जामेर मु. जयपुर

राजस्वरूप | जौम प्रकाश

जम्मा 59/2024

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>ही तथा मूलवाद में उपपक्षकारण की सहायता अनुसार वाप प्राथमिक डिडी किया जा चुका है। अतः इस प्रांप्पु अस्वार्थ निषेधाज्ञा का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। परकारण के कोई उत्पत्ति नहीं है। अतः प्रांप्पु अस्वार्थ निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।</p> <p>पंजाबी केसल शुभारंभ हेतु दरखिल कर्तव्य है।</p> <p><b>सहायक कलक्टर</b> जामेर मु. जयपुर</p>